

सं.ई. 11016/02/2018-हिन्दी / 1810

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 13.09.2018

परिपत्र

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 08.06.2018 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना के संबंध में।

दिनांक 08.06.2018 को आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल और समिति के अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि कम से कम हिन्दी पखवाड़े के दौरान जो भी पत्र, ई-मेल, ह्वाट्सएप, ट्विटर आदि भेजे जाएं, उसे निश्चित रूप से हिन्दी में ही लिखा जाए।

अतः अनुरोध है कि मंत्रालय एवं सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी में ही पत्र, ई-मेल, ह्वाट्सएप, ट्विटर आदि भेजने का प्रयास करें।



(एम.सी. भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक(रा.भा)

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभाग/अधिकारी।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।